संख्या-06/एफ1-06/2026 श्र0सं0- 2124

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 16/4/26

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना (विपत्र कोड-26-2230010010106) हेतु सहायक अनुदान मद के रूप में प्रावधानित राशि ₹ 870.00 लाख (₹ आठ करोड़ सत्तर लाख) मात्र की लागत पर व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में श्रम बाजारों की बदलती अपेक्षाओं के संदर्भ में श्रम कानूनों के प्रभाव, श्रमिक वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, श्रमिक संघो की परिवर्तित भूमिका, विभागीय श्रम पदाधिकारियों के प्रशिक्षण आदि से संबंधित नीतिगत विषयों पर संस्थागत अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के राजधानी पटना के नगरीय क्षेत्र में दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई है।

2. यह संस्थान श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन, शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य करता है। संस्थान राज्य में श्रम से संबंधित आंकड़ो का संकलन करता है। संस्थान विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। श्रम कानूनों के प्रवर्तन से जुड़ी अधतन जानकारी, श्रम कानूनों में अपेक्षित बदलावों, संशोधन इत्यादि विषयों पर विभाग के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संस्थान मांग एवं आपूर्ति के आधार पर राज्य के युवकों के लिए औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नये विषयों में प्रशिक्षण करने के संबंध में अध्ययन करता है।

3. संस्थान का संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना हेतु (विपत्र कोड-26-2230010010106) सहायक अनुदान मद के रूप में प्रावधानित राशि ₹ 870.00 लाख (₹ आठ करोड़ सत्तर लाख) मात्र का बजट उपबंध निम्न प्रकार से व्यय किया जायेगा:-

(i) मुख्य शीर्ष -2230 श्रम रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 श्रम, लघु शीर्ष -001 निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0106 दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना (विपत्र कोड-26-2230010010106) के अंतर्गत :-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध(₹)
31-सहायता अनुदान	
31.04 सहायक अनुदान- वेतन	3,10,00,000
31.06 सहायक अनुदान- गैर वेतन	5,60,00,000
योग-26-2230.01.001.0106- दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान	**8,70,00,000**

(₹ आठ करोड़ सत्तर लाख) मात्र।

4. यह एक चालू योजना है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव, पटना होंगे।
6. दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना उपरोक्त राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र श्रमायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें।
7. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
8. प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
15.4.26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः- 6/एफ1-06/2026 श्र0सं0- 2124 **पटना, दिनांक- 16/4/26**

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /श्रमायुक्त के सचिव, पटना /प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव